न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 744–पीबीआर/09 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–06–09 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर, संभाग ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 18/08–09/अपील.

———

1– सिरनाम सिंह
2– रघुवीर सिंह
3– मुरारी
4– राधेश्याम
5– विजय सिंह
6– जानकी उर्फ गुड़ी
7– श्रीमती सावो पत्नी किशनलाल समस्त निवासी ग्राम लालगढ़ तह. जिला शिवपुरी

———— आवेदकगण

विरूद्ध

1– मथुरा
2– लाडो समस्त पुत्र/ पुत्री ताराचंद
3– पहलाद
4– प्रेम

समस्त पुत्र जाधो निवासी लालगढ़
तहसील व जिला शिवपुरी

———— अनावेदकगण

———

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 11-09-2014 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 18/08–09/अपील में पारित आदेश 10–06–09 के विरूद्ध म.प्र. भू– राजस्व

संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हे कि अनावेदक मथुराप्रसाद द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर उसके स्वामित्व के खाते में रकबा पूर्ति के आदेश दिनांक 12–5–08 को दिये गये । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक सिरनाम सिंह आदि द्वाराअनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की जो उन्होंने अस्वीकार की । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की गई है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदकगण प्रकरण में एकपक्षीय हैं ।

5/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण रकबा पूर्ति के आदेश का है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट कियाहै कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत उभयपक्ष को साक्ष्य और सुनवाई का अवसर दिया जाकर और राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन बुलाकर प्रकरण में कार्यवाही की गई है और चलित न्यायालय में तहसीलदार ने जो भूमि का विभाजन किया है उसमें रकबा दुरस्ती के जो आदेश हुए हैं वह पूर्व के बटवारा आदेश के अनुसार है । अपर आयुक्त ने यह भी पाया है कि अपीलार्थी के खाते में बटवारे में प्राप्त भूमि के रकबे में कोई कमी नहीं होती है । अपर आयुक्त के आदेश की पुष्टि अभिलेख से होती है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त का आदेश उचित और न्यायिक है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर